



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2017/अग्रहायण 24, 1939

No. 469]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2017/AGRAHAYANA 24, 1939

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2017

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के संचालन के लिए सन्नियम एवं मानक) विनियम, 2017

फा. सं.: अभातशिप/पीएंडएपी/पीजीडीएम/2017.— प्राक्कथन :- भारत में बीते कुछ समय में प्रबंधन शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है। यह अनुभव किया गया कि जिन संस्थाओं में प्रबंधन शिक्षा प्रदान की जाती है तथा जो प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम चलाते हैं उनमें प्रबंधन शिक्षा को यथोचित रूप से विनियमित करने तथा प्रबंधन शिक्षा के गुणवत्ता संवर्द्धन के क्रम में शैक्षणिक कैलेण्डर, प्रवेश, अभातशिप की आदर्श पाठ्यचर्या तथा शुल्क वापसी के संबंध में सन्नियम एवं मानकों (मानदंडों) को विधिपूर्वक परिभाषित किया जाए।

इसलिए, अब ;

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (ख) (छ) (झ) (ञ) (ड) (ढ) तथा (ण) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अभातशिप द्वारा पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचनाओं के अधिक्रमण में, अभातशिप एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- इन विनियमों का नाम "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के संचालन के लिए सन्नियम एवं मानक) विनियम, 2017" है।
- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. प्रयोज्यता :

ये विनियम पीजीडीएम कार्यक्रम संचालित करने वाली प्रबंधन संस्थाओं पर लागू होंगे।

3. परिभाषा : इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- "अधिनियम" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) ;
- "परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ;
- "प्रबंधन संस्थाएं" से यहाँ अभिप्रेत है अभातशिप द्वारा अनुमोदित पीजीडीएम पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाएं ;

4. पीजीडीएम कार्यक्रम की अवधि 21 माह से कम नहीं होगी।

5. विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अभातशिप द्वारा निर्धारित किए गए अकादमिक कैलेण्डर का प्रयोग किया जाएगा। प्रवेश प्रतिवर्ष 1 मार्च से आरंभ होंगे तथा 30 जून को बंद हो जाएंगे।
6. पीजीडीएम संस्थाओं में प्रवेश केवल 6 अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं जैसे: कैट, जैट, सीमेट, एटीएमए, मैट, जीमेट परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों अथवा संबंधित राज्य द्वारा यदि कोई प्रवेश परीक्षा संचालित की जाती है तो राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा।

निम्नलिखित घटकों तथा उनसे प्राप्त होने वाले अधिभार (वेटेज) को शामिल करके तैयार की गई समग्र (ओवर ऑल) रैंकिंग के आधार पर अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी :-

- संयुक्त प्रवेश परीक्षा (कैट, जैट, सीमेट, एटीएमए, मैट, जीमेट) में स्कोर
-35 से 60 प्रतिशत
- कक्षा-X, कक्षा-XII, स्नातक डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री में शैक्षणिक प्रदर्शन (परफोरमेंस)
- 5 से 25 प्रतिशत
- समूह चर्चा/साक्षात्कार
-20 से 45 प्रतिशत
- खेलों, अन्य पाठ्येतर कार्यकलापों में प्रतिभागिता तथा शैक्षणिक विविधता एवं लैंगिक विविधता के लिए दिया गया वेटेज - 5 से 20 प्रतिशत

पीजीडीएम संस्थाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं के नाम जिनमें से प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, उक्त घटकों के लिए निर्धारित स्कोरों के प्रतिशत के संदर्भ में सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगी। प्रवेश हेतु सूचना पुस्तिका (ब्रोशर) प्रवेश प्रक्रिया आरंभ होने से पर्याप्त समय पूर्व जारी कर दी जाएगी तथा विशेष संचार के माध्यम से आवेदकों को इसकी सूचना दी जाए।

जिन अभ्यर्थियों ने कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, संस्थाएं उनकी पात्रता शर्तों, चयन प्रक्रिया तथा योग्यता सूची स्पष्ट रूप से अभातशिप को सूचित करेगी तथा अपनी वेबसाइट पर डालेगी। विद्यार्थियों का चयन कड़ाई से योग्यता सूची के आधार पर ही किया जाएगा।

7. पीजीडीएम संस्थाएं अपनी स्थापना से, विद्यार्थियों का नामांकन डाटा दिसम्बर, 2017 से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अभातशिप के वेबपोर्टल पर (अपलोड करेंगी) डालेंगी। तत्पश्चात्, विद्यार्थियों के पंजीकरण संबंधी डाटा प्रतिवर्ष प्रवेश की अंतिम तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में अभातशिप के वेबपोर्टल पर अपलोड कर दिया जाना चाहिए।
8. पीजीडीएम संस्थाएं पीजीडीएम कार्यक्रमों के लिए अपने स्वयं के पाठ्यक्रम (डिवाइस) तैयार करेंगी तथापि यह अभातशिप द्वारा तैयार की गई आदर्श पाठ्यचर्या के अनुरूप तैयार किए गए जाने चाहिए तथा वे अपने पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक घटकों के महत्वपूर्ण भाग शामिल करेंगी।
9. पीजीडीएम संस्थाएं प्रभातित किए जाने वाले शुल्क को अपनी वेबसाइट तथा प्रवेश विवरणिका में प्रकाशित करेंगी।
10. परिषद् द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जो भी कारणों के लिए विद्यार्थी द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले प्रवेश रद्द कराया जाता है तो पीजीडीएम संस्थानों को विद्यार्थी से लिए गए शुल्क में से प्रक्रमण शुल्क के रूप में ₹0 1000/- की कटौती करने के बाद बची राशि तथा उसके प्रमाणपत्र वापस करने होंगे। फीस की वापसी के प्रयोजनार्थ प्रवेश वापस लेने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष की 30 जून होगी।
11. संस्थाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने और भविष्य के विकास हेतु योजना बनाने की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए सभी पीजीडीएम स्टैंड-अलोन संस्थाओं द्वारा शासी निकाय (बीओजी) का गठन किया जाएगा।
12. सभी पीजीडीएम संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (एनएडी) पर सभी विद्यार्थियों के प्रतिलेख और प्रमाणपत्र दोनों अपलोड करेंगे।
13. परीक्षाओं और मध्यस्थता से संबंधित मामलों के संबंध में नियम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अखिल भारतीय प्रबंधन मंडल द्वारा तय किए जाएंगे।
14. संस्थाएं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना) विनियम, 2012, एफ. संख्या 37-3/विधिक/2012, दिनांक 25.05.2012 के अनुसार लोकपाल नियुक्त करेंगी।
15. उपरोक्त विनियमन द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों और मानकों के अलावा, समय-समय पर अभातशिप-अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में प्रकाशित "अनुमोदन/अनुमोदन के विस्तार" के लिए अद्यतन मानदंड और मानक पीजीडीएम संस्थानों पर लागू होंगे।

16. निर्वचन :

यदि कोई भी प्रश्न इन विनियमों के निर्वचन के रूप में उठता है, तो इसका निर्णय परिषद् द्वारा किया जाएगा। परिषद् को इन विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में जो भी संदेह पैदा हो सकता है, को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति होगी।

डॉ. एम.पी. पुनियां, उपाध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./344/17]

अस्वीकरण : प्रस्तुत अधिसूचना मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अधिसूचना मान्य होगी।

**ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2017

All India Council for Technical Education (Norms and Standards for the conduct of Post Graduate Diploma in Management) Regulations, 2017.

F.No. AICTE/P&AP/PGDM/2017.—Preamble: Management Education in India has expanded exponentially in the recent past. In order to properly regulate and enhance the quality of management education imparted in institutions who are offering Post Graduate Diploma Programmes in Management (PGDM), it has been felt that norms and standards regarding academic calendar, admission, AICTE model curriculum and fee refund be spelt out precisely through regulation.

Now, therefore;

In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 23 read with section 10 (b)(g)(i)(j)(m)(n) and (o) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) and in supersession of all earlier notifications/ public notice issued by AICTE, the AICTE hereby makes the following Regulations, namely:

1. **Short title and commencement:**

- (i) These Regulations may be called “**All India Council for Technical Education (Norms and Standards for the conduct of Post Graduate Diploma in Management) Regulations, 2017**”.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette;

2. **Applicability:**

These Regulations are applicable to Management Institutions conducting PGDM Programmes.

3. **Definitions**– In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (i) ‘Act’ means All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);
- (ii) ‘Council’ means the All India Council for Technical Education constituted under Section 3 of the Act;
- (iii) ‘Management Institutions’ herein shall mean the institutions offering PGDM courses approved by AICTE;

4. The duration of the PGDM Programme shall not be less than 21 months.

5. The Academic calendar for admission of students shall be followed as prescribed by AICTE. The admission shall be started from 1st March and end by 30th June every year.

6. Admissions to PGDM Institutions shall be made only from the candidates qualified from anyone of the six All India tests i.e.; CAT, XAT, CMAT, ATMA, MAT, GMAT or state level entrance examination, if any conducted by the respective State Government.

The candidates shall be short listed on the basis of the overall rank computed taking into account of the following components and their weights:

- Score in the Common Admission test (CAT, XAT, CMAT, ATMA, MAT, GMAT)
-35 to 60%
- Score for academic performance in X Std., XII Std., Under Graduate Degree/Post Graduate Degree - 5 to 25%
- Group discussion/interview
- 20 to 45%
- Weightage for participation in Sports, Extra-curricular activities, Academic diversity and Gender diversity
– 5 to 20%

PGDM Institutions shall publish the information regarding the names of the Common Admission Tests, from which the candidates are selected for admissions, the percentage of scores of above components in their website, admission brochure well before the admission process is initiated and inform the applicants through specific communications.

- The institution shall inform AICTE and clearly display on the institution's website the eligibility criteria, selection procedure and the merit list of the candidates who have applied for the programme. The selection of the candidates shall be strictly on the basis of merit only.
7. PGDM Institutions shall upload students' enrolment data in the prescribed format on AICTE Portal since its establishment before December 2017. Thereafter students' enrolment data shall be uploaded on AICTE Portal within one month from the last date for admissions every year.
 8. PGDM Institutions may devise their own curriculum for PGDM Programmes, however it shall be in conformity with the Model curriculum framed by AICTE and they shall incorporate significant part of academic components in their curriculum.
 9. PGDM Institutions shall publish the fee being charged in their web-site and in admission brochure.
 10. PGDM Institutions shall refund fees collected after deducting an amount Rs. 1000/- as processing fee and return the certificates to the students withdrawing from the institutions before the last date of admission for whatever the reasons as per the procedure prescribed by AICTE. The last date for withdrawal of admissions for the purpose of refund of fees shall be 30th June every year.
 11. All stand-alone PGDM institutes shall constitute Board of Governors (BOG) for ensuring the effective management of the institutions and planning strategy for future development.
 12. All PGDM institutions shall upload both the transcripts and certificates of all students on the National Academic Depository (NAD).
 13. Rules with respect to matters relating to examinations and arbitration shall be decided by the All India Board of Management, AICTE.
 14. Institution shall appoint Ombudsman as per All India Council for Technical Education (Establishment of Mechanism of Grievance Redressal) Regulation, 2012, F. No. 37-3/Legal/2012, dated 25.05.2012.
 15. Apart from specific norms and standards laid down by the above regulation, updated norms and standards for grant of approval/ extension of approval in the AICTE-Approval Process Handbook published from time to time shall be applicable to PGDM Institutions.
 16. **Interpretation:**
If any question arises as to the interpretation of these Regulations, the same shall be decided by the Council. The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which may arise in regard to implementation of these Regulations.

Dr. M. P. POONIA, Vice Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./344/17]